an>

Title: Need to pass the 117th Constitution (Amendment) Bill to protect the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country.

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए लोगों के सवाल पर मुझे बोलने का अवसर दिया है...(व्यवधान) इस सदन में जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वंचित समाज के लोग जीत कर आए हुए हैं, उन लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि अपना समर्थन हमें देंगे...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 19.10.2006 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम. नागराज बनाम भारत संघ के मामले में पारित आदेश के अन्तर्गत तीन शर्तों के आधार पर पदोन्नति में परिणामी वरीयता के साथ आरक्षण की व्यवस्था दी थी...(व्यवधान) उक्त आदेश के आलोक में बिहार सरकार ने गुणात्मक आंकड़े संगृहित कर पदोन्नति में परिणामी वरीयता सहित आरक्षण को लागू किए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा संकल्प संख्या 11635 दिनांक 21.08.2012 निर्गत किया गया था...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. Only Shri Paswan's speech will go on record.

...(*Interruptions*)â€¦ *

श्री छेदी पासवान: माननीय उच्च न्यायलय, पटना के एकल पीठ एवं द्वय खण्डपीठ द्वारा इस संकल्प को निरस्त कर दिया गया है।...(व्यवधान) परिणास्वरूप अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारी/पदाधिकारी 77वें एवं 85वें संविधान संशोधन के बावजूद पदोन्नति में परिणामी वरीयता के साथ आरक्षण के अधिकार से वंचित हो गए हैं।...(व्यवधान) इससे संपूर्ण अनुसूचित जाति/जनजाति के सामाजिक पिछड़ापन तथा आर्थिक दुर्बलता की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसका प्रभाव राष्ट्रव्यापी होगा।...(व्यवधान)

इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सभा में पूर्व से पारित एवं लोक संभा में लंबित 117वें संविधान संशोधन विधेयक, जो परिणामी वरीयता के साथ पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है, को पारित कराया जाना तथा पारित विधेयक को अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों एवं संपूर्ण वंचित समाज के हित में 9वीं अनुसूचित में सम्मिलित कराया जाना अपेक्षित है।...(व्यवधान)

अतः मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि लोक सभा के आगामी सत्र में लंबित 117वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराते हुए संविधान के 9वीं अनुसूचि में शामिल किए जाने हेतु भवदीय स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए ताकि अनुसूचित जाति/जनजाति समाज के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के संवैधानिक हितों की रक्षा की जा सके। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्रीमती कृष्णा राज, डॉ. यशवंत सिंह, श्री अशोक कुमार दोहरे, श्री श्यामा चरण गुप्त, श्री हरीश मीणा, श्री जनक राम, श्री विष्णु दयाल राम, डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री कमलेश पासवान और डॉ. किरीट पी. सालंकी को श्री छेदी पासवान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Shri P. Karunakaran.

...(*Interruptions*)